

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(14)नवि/II/2019

जयपुर, दिनांक:

6-8 NOV 2021

आदेश

श्री मनोज कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता(विद्युत), जो वर्तमान में नगर विकास न्यास, अलवर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, कि प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष की अभिवृद्धि प्रदान किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


राज्यपाल की आज्ञा से,

-Sd.
(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
5. सचिव(प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर।
6. श्री मनोज कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।


सहायक शासन सचिव-द्वितीय